



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण


EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 470]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 21, 2002/वैशाख 31, 1924

No. 470]

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 21, 2002/VAISAKHA 31, 1924

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 मई, 2002

का.आ. 550(अ).— भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं० का०आ० 114(अ), तारीख 19 फरवरी, 1991 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना गया है) में प्रस्तावित संशोधनों पर पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (V) और धारा 6 के अधीन भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं० 51(अ), तारीख 11 जनवरी, 2002 प्रकाशित की गई थी, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से आमंत्रण करते हुए, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उस राजपत्र की प्रतियां, जिसमें वह अधिसूचना जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, साठ दिन के भीतर आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे। यह अधिसूचना भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में तारीख 11 जनवरी, 2002 को प्रकाशित की गई थी ;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को 23 जनवरी, 2002 को उपलब्ध करा दी गई थीं ;

और केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राप्त हुए सभी आक्षेपों और सुझावों पर सम्यक् रूप से विचार कर लिया गया है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) तथा धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिसूचना में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :--

संशोधन

1. उक्त अधिसूचना के, (i) पैरा 1 के उपपैरा (3) में,-

(1) "इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए" के साथ आरंभ होने वाले और "इस संबंध में दिशानिर्देशों के अनुसार समान रूप से किया जाएगा।" के साथ समाप्त होने वाले भाग को खंड (i) के रूप में संख्यांकित किया जाएगा ;

(2) इस प्रकार संख्यांकित खंड (i) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(ii) नदियों, संकरी खाड़ियों और पश्चजल की दशा में उच्च ज्वार रेखा से दूरी दोनों ओर लागू होगी और उसमें तटीय पक्षेत्र प्रबंध योजनाएं तैयार करते समय प्रत्येक मामले के आधार पर ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे, उपातस्त किया जा सकेगा। परन्तु यह दूरी 100 मीटर से या संकरी खाड़ी, नदी या पश्चजल की चौड़ाई से जो भी कम हो, कम नहीं होगी। वह दूरी जिस तक नदियों, संकरी खाड़ियों तथा पश्चजल के साथ विकास को विनियमित किया जाना है उस दूरी से विनियमित किया जाएगा जिस तक सागर ज्वार प्रभाव का अनुभव किया जाता है, जो प्रति हजार पांच पार्ट लवणता संकेन्द्रण के आधार पर अवधारित किया जाएगा। इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए लवणता मापन वर्ष की शुष्कतम अवधि के दौरान किया जाएगा और वह दूरी जिस तक सागर ज्वार प्रभाव का अनुभव किया जाता है, स्पष्ट रूप से पहचानी जाएगी और तदनुसार, तटीय पक्षेत्र प्रबंध योजनाओं में सीमांकित की जाएगी।”;

(iii) टिप्पण का लोप किया जाएगा।

2. उक्त अधिसूचना के पैरा 2 के उपपैरा (i) में,-

(i) मद (क) के अंत में आने वाले “और” शब्द का लोप किया जाएगा ;

ii) मद (ख) में, अंत में “और” शब्द अंतःस्थापित किया जाएगा ;

iii) मद (ख) के पश्चात् निम्नलिखित मद अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :- “(ग) विशेष आर्थिक पक्षेत्र के तटीय विनियमन पक्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी और अन्य सेवा उद्योगों के क्षेत्र में अप्रदूषणकारी उद्योग”

3. उक्त अधिसूचना के पैरा 3 में,-

(क) उपपैरा (1) के अंत में निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परियोजना प्राधिकारियों से अपेक्षित दस्तावेजों और आंकड़े की प्राप्ति से नब्बे दिन की अवधि के भीतर निर्धारण पूरा कर लिया जाएगा और उसके पश्चात् विनिश्चय तीस दिन के भीतर संसूचित किया जाएगा”।

(ख) उपपैरा (2) में, मद (iii) के पश्चात्, निम्नलिखित मदें अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

“(iii)क) पैरा 6 के उपपैरा (2) में यथाविनिर्दिष्ट सीआरजेड क्षेत्र में आवास स्कीम ;

(iii)ख) दुर्लभ खनिजों का खनन ;

(iii)ग) एसईजेड के मास्टर प्लान पर आधारित ऐसे क्रियाकलापों पर भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय के एक कालिक अनुमोदन के अधीन रहते हुए एसईजेड में विनिर्दिष्ट क्रियाकलाप, प्रसुविधाएं, सीआरजेड में अवस्थित होने वाली परियोजनाओं का स्थानिक वितरण और ऐसी अन्य जानकारी जो इस प्रयोजन के लिए अपेक्षित हो।

4. उक्त अधिसूचना के उपाबंध I के पैरा 6 के उपपैरा (2) में,-

(i) शीर्षक सीआरजेड -I के अधीन,

(क) “और (ग) संनिर्माण” शब्दों, कोष्ठकों और अक्षर के स्थान पर “(ग) संनिर्माण” कोष्ठक, अक्षर और शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) “पश्चिमी बंगाल राज्य तटीय परिक्षेत्र प्रबंध प्राधिकारी द्वारा” शब्दों के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

(ii) शीर्षक सीआरजैड-II के अधीन

(क) खंड (i) में परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत में अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परंतु यह और कि विद्यमान सड़कों/प्राधिकृत संरचनाओं, अनुमोदित तटीय परिक्षेत्र प्रबंध योजनाओं में प्रस्तावित सड़कों, नई सड़कों पर आधारित सन्निर्माण के संबंध में उपरोक्त निर्बंधन राज्य नगरीय विकास प्राधिकरणों की उन आवास स्कीमों पर लागू नहीं होंगे, जो चरणों में कार्यान्वित की गई हों जिनके लिए सन्निर्माण कार्यकलाप कम से कम एक चरण में 19.2.1991 से पूर्व प्रारंभ हुआ था और राज्य/स्थानीय प्राधिकरणों से सभी सुसंगत अनुमोदन 19.2.1991 से पूर्व अभिप्राप्त कर लिए गए थे, ऐसे सभी मामलों में प्रत्येक मामले के आधार पर पर्यावरण और वन मंत्रालय का विनिर्दिष्ट अनुमोदन आवश्यक होगा।”

(iii) शीर्षक सीआरजैड-III के अधीन, -

(क) खंड (i) में,-

(अ) खंड (i) में “उच्च ज्वार रेखा से 200 मीटर तक के क्षेत्र को विकास क्षेत्र नहीं माना जाना” शब्दों के पश्चात् “परंतु यह है कि उक्त क्षेत्र किसी अधिसूचित पत्तन सीमाओं या किसी अधिसूचित विशेष आर्थिक जोन के भीतर नहीं आता हो” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(आ) “राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा पदाभिहित प्राधिकारी” से प्रारंभ होने वाले और “सुविधाओं के विनिर्माण की अनुज्ञा दे सकेगा” के साथ समाप्त होने वाले शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(इ) अंतिम वाक्य में “उपयोग” शब्द के स्थान पर “उपयोग/क्रियाकलाप” शब्द रखे जाएंगे और वन प्रान्त शब्द के पश्चात् “दुर्लभ खनिजों का खनन” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

(ख) खंड (i) के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(क) ओषधालयों, विद्यालयों, सार्वजनिक वर्षा शरणालयों, सामुदायिक शौचालयों, पुलों, सड़कों के सन्निर्माण और जल प्रदाय, जल निकास, मलवहन की सुविधाओं की व्यवस्था जो स्थानीय निवासियों के लिए अपेक्षित हैं, केन्द्रीय सरकार या राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के लिए गठित तटीय क्षेत्र प्रबंध प्राधिकारी द्वारा प्रत्येक मामले के आधार पर अनुमति दी जा सकेगी :

परन्तु घरेलू मल शोधन और व्ययन के लिए एककों या उनके सहायकों का सन्निर्माण इस अधिसूचना के पैरा 2 के उपपैरा (iv) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी अनुज्ञेय होगा।”

(ग) खंड (iv) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(v) अधिसूचित एसईजेड में, सूचना प्रौद्योगिकी और अन्य सेवा उद्योगों के क्षेत्र में अप्रदूषणकारी उद्योगों का निर्माण अलवणीकरण संयंत्रों, समुद्र तट रिसोर्टों और एसईजेड प्राधिकरण द्वारा उसके मास्टर प्लान में यथाअनुमोदित एसईजेड के संवर्धन के लिए आवश्यक सुसंगत आनुमोदन प्रसुविधाओं का सन्निर्माण अनुज्ञात किया जा सकेगा।”

[फा. सं. एच-11011/6/97-आईए III]

डॉ. वी. राजगोपालन, संयुक्त सचिव

प्रधान अधिसूचना दिनांक 19 फरवरी, 1991 की संख्या का.आ. 114(अ) के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गई थी और बाद में इसे निम्नलिखित के तहत संशोधित किया गया था :—

- (1) का.आ. 595(अ) दिनांक 18 अगस्त, 1994
- (2) का.आ. 73(अ) दिनांक 31 जनवरी, 1997
- (3) का.आ. 494(अ) दिनांक 9 जुलाई, 1997
- (4) का.आ. 334(अ) दिनांक 20 अप्रैल, 1998
- (5) का.आ. 873(अ) दिनांक 30 सितम्बर, 1998
- (6) का.आ. 1122(अ) दिनांक 29 दिसम्बर, 1998
- (7) का.आ. 998(अ) दिनांक 29 सितम्बर, 1999
- (8) का.आ. 730(अ) दिनांक 4 अगस्त, 2000
- (9) का.आ. 900(अ) दिनांक 29 सितम्बर, 2000
- (10) का.आ. 329(अ) दिनांक 12 अप्रैल, 2001
- (11) का.आ. 988(अ) दिनांक 3 अक्टूबर, 2001

**MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS
NOTIFICATION**

New Delhi, the 21st May, 2002

S.O. 550(E).— Whereas a notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests number S.O. 51 (E), dated the 11th January, 2002 under sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 and section 6 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), inviting objections and suggestions to the amendments proposed to the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests number S.O 114 (E) dated the 19th February, 1991 (hereinafter referred to as the said notification) from all persons likely to be affected thereby within a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette in which that notification was made available to the public was published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-Section (ii) on the the 11th January 2002;

And whereas copies of the said Gazette was made available to the public on the 23rd January, 2002;

And whereas all objections and suggestions received have been duly considered by the Central Government;

Now therefore, in exercise of powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 and section 6 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby

makes the following further amendments in the said notification, namely:-

AMENDMENTS

1. In the said notification,(i) in paragraph 1, in sub-paragraph (3),-

- (1) the portion beginning with the words “ For the purpose of this notification” and ending with words “general guidelines issued in this regard”, shall be numbered as clause (i);
- (2) after clause (i) as so numbered, the following clause shall be inserted, namely;

“(ii) The distance from the High Tide Line shall apply to both sides in the case of rivers, creeks and backwaters and may be modified on a case to case basis for reasons to be recorded in writing while preparing the Coastal Zone Management Plans provided that this distance shall not be less than 100 meters or the width of the creek, river or backwaters, which ever is less. The distance up to which development along rivers, creeks and backwaters is to be regulated shall be governed by the distance up to which the tidal effects are experienced which shall be determined based on salinity concentration of 5 parts per thousand (ppt). For the purpose of this notification ,the salinity measurements shall be made during the driest period of the year and the distance upto which tidal effects are experienced shall be clearly identified and demarcated accordingly in the Coastal Zone Management Plans.”;

(iii)the Note shall be omitted.

2. In the said notification, in paragraph 2, in sub-paragraph(i)-

- (i) in item (a), the word “ and ” occurring at the end shall be omitted;
- (ii) in item (b) the words “ and ” shall be inserted at the end;
- (iii) after item (b), the following item shall be inserted, namely :- “(c) non-polluting industries in the field of information technology and other service industries in the Coastal Regulation Zone of Special Economic Zones (SEZ)”

3. In the said notification, in paragraph 3,-

- (a) in sub-paragraph (1) , the following shall be inserted at the end, namely:-

“ The assessment shall be completed within a period of ninety days

from receipt of the requisite documents and data from the project authorities, and the decision shall be conveyed within thirty days thereafter”.

- (b) in sub-paragraph (2) , after item (iii), the following items shall be inserted, namely :-

“ (iii a) Housing schemes in CRZ area as specified in sub-paragraph (2) of paragraph 6;

(iii b) Mining of rare minerals;

(iii c) Specified activities/facilities in SEZ subject to one time approval by the Government of India in the Ministry of Environment and Forests to such activities based on the Master Plan of SEZ, spatial distribution of projects to be located in CRZ and such other information as may be required for the purpose.

4. In the said notification, in Annexure I, in paragraph 6, in sub-paragraph (2), -

(i) under the heading CRZ-I ,-

(a) for the words, brackets and letter “and (c) construction”, the brackets, letter and word “ (c) construction ” shall be substituted;

(-b) after the words “ by the West Bengal State Coastal Zone Management Authority” the following shall be inserted, namely:

“ and (d) salt harvesting by solar evaporation of sea water ”

(ii) under the heading CRZ-II,-

(a) in clause (i) after the proviso, the following proviso shall be inserted at the end, namely:-

“ Provided further that the above restrictions on construction, based on existing roads/authorised structures, roads proposed in the approved Coastal Zone Management Plans, new roads shall

not apply to the housing schemes of State Urban Development Authorities implemented in phases for which construction activity was commenced prior to 19th February, 1991 in atleast one phase and all relevant approvals from State/Local Authorities were obtained prior to 19th February, 1991; in all such cases specific approval of the Ministry of Environment and Forests would be necessary on a case to case basis.”

(iii) under the heading CRZ-III,-

(a) In clause (i);-

(A) after the words ‘ No Development Zone,’ the words “ provided that such area does not fall within any notified port limits or any notified Special Economic Zone” shall be inserted.

(B) the sentence beginning with the words “ An authority designated and ending with the words “ requirements of local inhabitants” shall be omitted;

(C) in the last sentence, the word “ uses” shall be replaced by the words “ uses/activities” and the words “ mining of rare minerals” “ shall be inserted after the word “ forestry”.

(b) after clause (i),the following sub-clause shall be inserted namely:-

“ (ia) Construction of dispensaries, schools, public rain shelters, community toilets, bridges, roads and provision of facilities for water supply, drainage, sewerage which are required for the local inhabitants may be permitted, on a case to case basis, by the Central Government or Coastal Zone Management Authority constituted for the State/Union Territory.

Provided that construction of units or ancillary thereto for domestic sewage treatment and disposal shall be permissible notwithstanding anything contained in sub-paragraph (iv) of paragraph 2 of this notification.”

(c) after clause (iv), the following clause shall be inserted, namely;-

“(v) In notified SEZ, construction of non-polluting industries in the field of information technology and other service industries, desalination plants, beach resorts and related recreational facilities essential for promotion of SEZ as approved in its Master Plan by SEZ Authority may be permitted.”

[F. No. H-11011/6/97-IA III]

Dr. V. RAJAGOPALAN, Jt. Secy.

The principal notification was published in the Gazette of India vide number S.O. 114 (E) dated the 19th February, 1991 and subsequently amended vide:-

- (i) S.O. 595 (E) dated 18th August, 1994.
- (ii) S.O. 73 (E) dated 31st January, 1997.
- (iii) S.O. 494 (E) dated 9th July, 1997.
- (iv) S.O. 334 (E) dated 20th April, 1998.
- (v) S.O. 873 (E) dated 30th September, 1998.
- (vi) S.O. 1122 (E) dated 29th December, 1998.
- (vii) S.O. 998 (E) dated 29th September, 1999.
- (viii) S.O. 730 (E) dated 29th September, 2000.
- (ix) S.O. 900(E) dated 29th September, 2000.
- (x) S.O. 329(E) dated 12th April, 2001.
- (xi) S.O. 988(E) dated 3rd October, 2001.